


बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
:: अधिसूचना ::

पटना-15, दिनांक 23.3.26

संख्या-7 / स्था0-04-14 / 2022सा0प्र0...5530 / महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक-22247 दिनांक 13.03.2026 द्वारा संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री रामाकान्त, सम्पादक, पटना उच्च न्यायालय, पटना को प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, समस्तीपुर के पद पर नियुक्त कर पदस्थापित किया जाता है।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(रजनीश कुमार) 23/03/26,

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-7 / स्था0-04-14 / 2022सा0प्र0...5530 / पटना-15, दिनांक 23.3.26


प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 तथा ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ (दो प्रतियों में सी0डी0 के साथ) प्रेषित।


(रजनीश कुमार) 23/03/26,

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-7 / स्था0-04-14 / 2022सा0प्र0...5530 / पटना-15, दिनांक 23.3.26

प्रतिलिपि-महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना को उनके पत्रांक-22247 दिनांक 13.03.2026 के प्रसंग में/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, समस्तीपुर/श्री रामाकान्त, सम्पादक, पटना उच्च न्यायालय, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0), बिहार, पटना एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(रजनीश कुमार) 23/03/26,

सरकार के अपर सचिव।